झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा

सप्तम् (शीतकालीन) सत्र
वर्ग–05

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न,शुक्रवार,दिनांक– 26 अग्रहायण,1943 (श0) 17 दिसम्बर , 2021 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
उ0सं0					
(01)	अ0सू0-11	श्री प्रदीप यादव	बिजली दर में सुधार करना।	ऊर्जा	12.12.21
(02)	अ0सू0-02	श्री समीर कुमार मोहंती	डाटा इंट्री की खामियों को दूर करना।	राजस्व नि. एवं भू.सु.।	12.12.21
(03)	अ0सू0-29	सुश्री अम्बा प्रसाद	विकास कार्यों को क्रियान्वयन करना।	राजस्व नि. एवं भू.सु.।	12.12.21
(04)	अ0सू0-33	श्री मनीष जायसवाल	दाखिल खारिज को दुरुस्त करना।	राजस्व नि. एवं भू.सु.।	12.12.21
(05)	अ0सू0-27	श्री निरल पुरती	विद्युत मीटर को अधिकृत करना।	ऊर्जा	12.12.21
(06)	अ0सू0-21	श्री बंधु तिर्की	पूर्ण भू-सर्वेक्षण करवाना	राजस्व नि. एवं भू.सु.।	12.12.21
(07)	अ0सू0-18	डॉ0 सरफराज अहमद	विधि आयोग का कार्यकाल विस्तार करना।	विधि	12.12.21
(08)	अ0सू0-17	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	व्रजपात एवं आपदा से मृत के परिवार को चार लाख रू0 एवं नौकरी देना।	ऊर्जा	12.12.21
(09)	अ0सू0-19	श्री बंधु तिर्की	दोषियों पर कार्रवाई।	स.चि.शि.एवं परि.कल्याण।	12.12.21
(10)	अ0सू0-03	डॉ0 लम्बोदर महतो	दोषियों पर कार्रवाई।	ऊर्जा	12.12.21

पृ0 पृ0 उ0––––––

(11)-	अ0सू0-28	श्री रामदास सोरेन	दोषी पर कार्रवाई एवं कार्यों को पूर्ण करना।	अनु.ज.अनु. जन.एवं पि.व.क.।	12.12.21
(12)-	अ0सू0-25	श्री अमर कुमार बाउरी	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना चालू करना।	अनु.ज.अनु. जन.एवं पि.व.क.।	12.12.21
(13)-	अ0सू0-23	श्री भानू प्रताप शाही	S.I.T जाँच रिर्पोट पर कार्रवाई।	राजस्व नि. एवं भू.सु.	12.12.21
(14)-	अ0सू0-15	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	जीवन रक्षक चिकित्सा उपलब्ध कराना।	स.चि.शि.एवं परि.क.	12.12.21
(15)-	अ0सू0-12	श्री प्रदीप यादव	बिजली बिल की माफी	ऊर्जा	12.12.21
(16)-	अ0सू0-09	श्री विनोद कुमार सिंह	मेडिकल बीमा पाँच लाख की जगह दस लाख करना।	विधि	12.12.21
(17)-	अ0सू0-08	श्री अमित कुमार यादव	प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर पाँच लाख का भुगतान।	श्रम.नि.प्र. एवं को.वि.	12.12.21
(18)-	अ0सू0-01	श्री समीर कुमार मोहंती	D.P.S की माफी एवं वन टाईम सेटेलमेंट करना।	ऊर्जा	12.12.21
(19)-	अ0सू0-10	श्री सुदेश कुमार महतो	बेरोजगारी मासिक भत्ता उपलब्ध कराना।	श्रम.नि.प्र. एवं को.वि.	12.12.21
(20)-	अ0सू0-13	श्री विरंची नारायण	दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई।	राजस्व नि. एवं भू.सु.	12.12.21
(21)-	अ0सू0-30	श्री दीपक बिरूवा	विद्युतीकरण बहाल करना।	ऊर्जा	12.12.21
(22)-	अ0सू0-04	श्री स्टीफन मराण्डी	विद्युत ग्रीड का निर्माण।	ऊर्जा	12.12.21
(23)-	अ0सू0-05	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	कौशल विकास प्रशिक्षण को प्रखण्ड स्तर पर चालू करना।	विधि	12.12.21
(24)-	अ0सू0-06	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	मकान एवं भूमि के एवज में बैंक ऋण उपलब्ध कराना।	राजस्व नि. एवं भू.सु.	12.12.21
(25)-	अ0सू0-34	श्री रांजीव सरदार	प्रोत्साहन राशि वंचित डॉक्टरों को करना।	स.चि.शि.एवं परि.क.	12.12.21
(26)-	अ0सू0-20	डॉ0 सरफराज अहमद	स्वतंत्र अधिवक्ता रखने के संबंध में।	विधि	12.12.21
(27)-	अ0सू0-31	श्री दीपक बिरूवा	प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।	स.चि.शि.एवं परि.क.	12.12.21
(28)-	अ0सू0-16	श्री रामचन्द्र सिंह	भू-सर्वेक्षण तक रशीद कटना स्थगित करना।	राजस्व नि. एवं भू.सु.	12.12.21
(29)-	अ0सू0-07	श्री अमित कुमार मंडल	आयुष्मान कार्डधारियों को निजी अस्पताल में मुफ्त में रक्त उपलब्ध कराना।	स.चि.शि.एवं परि.क.	12.12.21
(30)-	अ0सू0-24	श्रीमती पुष्पा देवी	योजनाओं को कियान्वयन।	अनु.ज.अनु. जन.एवं पि.व.क.	12.12.21
(31)-	अ0सू0-22	श्री नलिन सोरेन	दुमका के शिकारीपाड़ा में सौ शैया वाले छात्रावास का निर्माण।	अनु.ज.अनु. जन.एवं पि.व.क.	12.12.21

क्र0 पृ0 उ0------

* → विधि विभाग, के ज्ञापांक-1805, दिनांक-14.12.21 के द्वारा श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग को स्थानांतरित।

(32)-	अ0सू0-14	श्री विरंची नारायण	धर्मांतरण को रोकना।	अनु.ज.अनु. जन.एवं पि.व.क.।	12.12.21
(33)-	अ0सू0-26	श्री सरयू राय	बन्दोबस्त कर घर का होल्डिंग सं0 देना।	राजस्व नि. एवं भू.सु.।	12.12.21
(34)-	अ0सू0-32	श्री मनीष जायसवाल	अद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान को चालू करना।	श्रम.नि.प्र. एवं को.वि.।	12.12.21

राँची
दिनांकः-17 दिसम्बर,2021 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0-(प्रश्न)-06/2020-......2473......./वि0स0,राँची,दिनांकः- 15/12/2021

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

शरद सहाय
15/12/21
(शरद सहाय)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0-(प्रश्न)-06/2020-......2473......./वि0स0,राँची,दिनांकः- 15/12/2021

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक (सचिवीय कार्यालय) को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

शरद सहाय
15/12/21
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0-(प्रश्न)-06/2020-......2473......./वि0स0,राँची,दिनांकः- 15/12/2021

प्रतिलिपि :-कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा,झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

शरद सहाय
15/12/21
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

दुर्गा
15.12.21

मंगल

01

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–11 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में प्रतिदिन 2200 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य अपने संसाधनों से मात्र 400 मेगावाट बिजली ही उत्पादन कर पा रहा है;	स्वीकारात्मक। राज्य में स्थापित विद्युत संयंत्र की क्षमता निम्नवत् है:- सिकीदिरी जल परियोजना - 2x65 MW तेनुघाट ताप विद्युत घर - 2x210 MW
3. क्या यह बात सही है कि PTPS, NTPC को हस्तांतरण के शर्तों में से एक शर्त यह भी था कि NTPC 500 मेगावाट बिजली पुरानी यूनिट से देगी जो अबतक अप्राप्त है;	NTPC, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड एवं झारखण्ड सरकार के बीच हुए संयुक्त उद्यमी समझौते दिनांक 29.07.2015 के अनुसार पुराने यूनिट से 115–120 मेगावाट बिजली देने का प्रावधान था। लेकिन पर्यावरण एवं अन्य कारणों की वजह से पुराने यूनिट का संचालन नहीं हो पाया एवं उसके एवज में NTPC द्वारा कोरवा एवं फरक्का-III से 50–50 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
4. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड बिजली बोर्ड को बाह्य स्रोतों से बिजली खरीदने में अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है जिसका खर्च आम जनता को उठाना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा वहन सभी खर्चों के आधार पर निगम द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रतिवर्ष ARR/ Tariff Petition दायर की जाती है। तदुपरांत नियामक आयोग के द्वारा निगम तथा आम जनता के पक्षों की समुचित सुनवाई के उपरांत ही, विद्युत दर का निर्धारण किया जाता है न कि सिर्फ निगम के प्रास्तावित वार्षिक टैरिफ के आधार पर।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिजली के अपने स्रोतों के बारे में विचार रखती है ताकि उपभोक्ताओं को बिजली सुनिश्चित एवं सही दर पर मिल सके, हाँ, तो कब तक, नहीं क्यों ?	पतरातू में प्रथम चरण में 3x800=2400 MW विद्युत संयंत्र Patratu Vidyut Utpadan Nigam Limited (PVUNL) की स्थापना प्रक्रियाधीन है, जिसकी पहली यूनिट 800MW की संचालन 2023–24 में संभावित है, तथा अन्य इकाईयों की स्थापना छः माह के अंतराल में संभावित है, इस प्रकार राज्य के जनता को गुणवत्ता पूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2409 / दिनांक 16-12-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2021

(अजय कुमार रोय)
सरकार के अवर सचिव।

02

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–02 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स०वि०स०	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि Data Entry न हो पाने के कारण भूस्वामियों को लगान जमा करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। कुछ मामलों में Data Entry में त्रुटि होने पर भू–स्वामियों को लगान जमा करने में कठिनाई होती है। अंचल कार्यालय द्वारा त्रुटि का निराकरण किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि तकनीकी खामियों के कारण Data Entry नहीं हो पा रहा है।	आंशिक स्वीकारात्मक। तकनीकी खामियों के संज्ञान में आने पर NIC से सम्पर्क स्थापित कर समस्याओं का निराकरण किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार Data Entry की तकनीकी खामियों को दूर करने की दिशा में उचित पहल का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:–01/निदे०अभि० वि०स० (अ०सू०) –63/2021-691/ राँची, दिनांक–16-12-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0–2295/वि0स0, दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2021

सरकार के उप सचिव।

सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स० के द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र	प्रश्न	उत्तर
	सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड,राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राजस्व विभाग के पत्रांक–510/नि०रा०, दिनांक–24.09.2018 द्वारा उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को निर्देशित करते हुए सभी उपायुक्त/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को सरकारी बंदोबस्त प्राप्त भूमि एवं सरकारी भूमि पर अवस्थित संरचना का मुआवजा भुगतान करने के आलोक में तथा मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्रांक–3600972, दिनांक–14.09.2021 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने हजारीबाग उपायुक्त को जिले में अधिग्रहित की गई गैरमजरूआ भूमि के लंबित भुगतान करने का निदेष दिया है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–10/डी०एल०ए० विविध(नीति)–19/08–334/रा०, दिनांक–14.05.2009 के आलोक में राज्य के सभी उपायुक्त को केन्द्र सरकार के लोक उपक्रमों की परियोजनाओं हेतु अधियाचित गैरमजरूआ खास भूमि के 30 वर्षो से अधिक अवधि के दखलकार पाए जाने वाले भू–स्वामियों को सामान्य रैयतों को देय मुआवजा के समतुल्य मुआवजा राशि देने का प्रावधान है,	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त सभी आदेशो का अभी तक अनुपालन न करते हुए बड़कागाँव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत एनटीपीसी, पीटीपीएस आदि प्रतिष्ठानों में अधिग्रहित गैर मजरूआ भूमि पर दखल कब्जा रखने वाले रैयतों को रैयाती भूमि के अनुरूप मुआवजा और अन्य लाभ नही दिया जा रहा है तथा अधिग्रहित क्षेत्र में एनओसी एवं अन्य कारणों की वजह से विकास कार्यो का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है,	विभागीय संकल्प के अनुसार गैरमजरूआ खास जमीन के मामले में जिला प्रशासन के द्वारा किये गये स्थानीय जाँच के आधार पर मुआवजा भुगतान की कार्रवाई एनटीपीसी के द्वारा (CBA Act के तहत्) की जाती है। प्रासंगिक मामले में गैर मजरूआ भूमि का अवैध तरीके से मुआवजा भुगतान के आरोप के संबंध में पूर्व में राज्य सरकार के द्वारा विशेष जाँच दल का गठित किया गया था। जाँच दल के द्वारा मुआवजा भुगतान में अनियमितता बरतने का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। साथ ही साथ गैरमजरूआ भूमि के मुआवजा भुगतान के मामले में CBI के द्वारा जाँच की जा रही है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में गैरमजरूआ खास भूमि के मुआवजा भुगतान के संबंध में अत्यधिक सावधानी बरतते हुए भुगतान की जाती है।

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बड़कागाँव विधान सभा अंतर्गत अधिग्रहित की गई या की जा रही गैरमजरूआ भूमि का मुआवजा भुगतान रैयती भूमि के बराबर वर्त्तमान दर पर करने तथा अधिग्रहित क्षेत्र में विकास कार्यो का क्रियान्वयन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–02ए0/भू0अ0नि0 (वि0स0) अ0सू0–244/2021 595 राँची, दिनांक– 16-12-2021

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2310, दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2021

सरकार के उप सचिव।

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–33 का प्रश्नोत्तर :–

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स०</td><td>माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।</td></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि हजारीबाग सहित राज्य के लगभग सभी जिलों में दाखिल–खारिज के साथ–साथ रैयतों द्वारा लगान जमा करने का कार्य बाधित है तथा राज्य में अबतक लगभग कुल–62 हजार दाखिल–खारिज मामले विभागीय लापरवाही में लम्बित है ;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
दिनांक–15.12.2021 तक जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार हजारीबाग जिला में दाखिल–खारिज के 8243 मामले सहित पुरे राज्य में कुल–67923 मामले लंबित हैं।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित मामले को सेवा की गारंटी अधिनियम अन्तर्गत 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करने का प्रावधान है परन्तु उक्त अधिनियम का उल्लंघन पर सरकार संबंधित पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ;</td><td>स्वीकारात्मक।
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–11086, दिनांक–29.12.2015 द्वारा झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत दाखिल–खारिज वादों के निष्पादन हेतु समय–सीमा अधिसूचित किया गया है।
दाखिल–खारिज सेवा के लिए नियत–समय सीमा की विवरणी इस प्रकार है :–
<table>
<tr><th>Services</th><th>Designated Officer</th><th>Time limit</th><th>Ist Appellate Authority</th><th>Time limit for Disposal of 1st Appeal</th><th>2nd Appellate Authority</th><th>Time limit fo disposal of 2nd Appeal</th></tr>
<tr><td>दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन –आपत्ति रहित वाद</td><td>अंचल अधिकारी</td><td>30 days</td><td>भूमि सुधार उप समाहर्त्ता</td><td>30 days</td><td>समाहर्त्ता /अपर समाहर्त्ता</td><td>30 days</td></tr>
<tr><td>दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन–वाद जिसमें आपत्ति दाखिल की गयी हो।</td><td>अंचल अधिकारी</td><td>90 days</td><td>भूमि सुधार उप समाहर्त्ता</td><td>30 days</td><td>समाहर्त्ता /अपर समाहर्त्ता</td><td>30 days</td></tr>
<tr><td>दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन–अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव से संशोधन पर्ची का निर्गमन</td><td>अंचल अधिकारी</td><td>03 days</td><td>भूमि सुधार उप समाहर्त्ता</td><td>30 days</td><td>समाहर्त्ता /अपर समाहर्त्ता</td><td>30 days</td></tr>
</table>
विभागीय पत्रांक–1039, दिनांक–04.03.2021 द्वारा दाखिल–खारिज वादों के निष्पादन हेतु अधिसूचित समय–सीमा में दाखिल–खारिज वादों का निष्पादित नहीं किये जाने पर झारखण्ड</td></tr>
</table>

		सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा–7 एवं 08 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अंचल अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी पर कार्यवाही करने हेतु सभी उपायुक्त, झारखण्ड को निदेश दिया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित मामले के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा हमेशा झारनेट सेवा बाधित रहने का बहाना बनाकर राज्य वासियों को परेशान किया जा रहा है, जो जाँच का विषय है ;	विभागीय पत्रांक–602, दिनांक–06.11.2018 एवं विभागीय पत्रांक–639, दिनांक–29.01.2020 द्वारा ऑनलाईन म्यूटेशन, लगान, निबंधन, इन्टरगरेशन ऑफ डाटा आदि में उदभुत तकनीकी समस्याओं/त्रुटियों के निराकरण हेतु क्रमशः राज्य सूचना पदाधिकारी एवं सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, झारखण्ड, राँची को निदेश दिया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–1 में वर्णित मामले का स्थाई समाधान एक माह के अन्दर करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यो ?	कंडिका–02 एवं 03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6/वि0स0– (अल्प–सूचित)–323/2021 4277/रा0, दिनांक– 16-12-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2312/वि0स0, दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 10 (दस) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/XII/2021
सरकार के अवर सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–27 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत तांतनगर प्रखण्ड में विद्युत उपभोक्ताओं को "राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना" एवं "सौभाग्य योजना" के तहत् दो विद्युत मीटरों का अधिष्ठापन किया गया है;	इस संबंध में कार्यालय को शिकायत अप्राप्त है।
2. क्या यह बात सही है कि एक ही उपभोक्ता को दोनों विद्युत मीटर द्वारा विद्युत विपत्र निर्गत किया जा रहा है;	–वही–
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र भुगतान हेतु किसी एक योजना के विद्युत मीटर को अधिकृत करने का विचवार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं क्यों?	इस तरह के मामले प्राप्त होने पर जाँच की जाएगी। जांचोपरान्त मामला सही पाए जाने पर एक मीटर को हटाकर उपभोक्ताओं को सिर्फ एक ही विद्युत विपत्र निर्गत किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2406 /

दिनांक 16-12-2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–17.12..2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र	प्रश्न	उत्तर
	श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स०	प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड,राँची।
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के रिविजनल सर्वे का प्रकाशन CNT ACT 1908 की धारा 84(2) के तहत वर्ष–2005 में किया गया, जिसके आधार पर भूमि संबंधी संपूर्ण कार्य किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि DILMP के तहत् हाल सर्वे के अनुसार भू–अभिलेखों का Digitize कराकर जिले के सभी भूमि संबंधी कार्य हो रहा है, परन्तु रिविजनल सर्वे में अनेको त्रुटियाँ विद्यमान रहने के कारण भू–विवादों एवं भू–समस्याएँ व्याप्त है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमि यथा सरना, जाहेस्थान, देशावली, देवस्थान, मसना, हड़गड़ी, डालीकतारी, भूतखेता, पहनई, महतोई, पईनभरा, कोटवारी, जतर स्थल, अखड़ा, घुमकुड़िया, बकास्त, मुण्डा आदि भूमि को पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा रैयती खाता दर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण उपरोक्त प्रकार की भूमि की खरीद–बिक्री की जा रही है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या–438/नि०रा०, दिनांक–31.10.2019 के द्वारा रिविजनल सर्वे त्रुटिपूर्ण होने के कारण लातेहार जिला के अंतिम प्रकाशित सातों अंचलों के राजस्व ग्रामीणों का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1902 की धारा–98 के तहत् निहित प्रावधान के आलोक में पूर्ण भू–सर्वेक्षण (Re-Survey) का कार्य प्रांरभ करने पर विचार रखती है, हाँ, यदि तो कबतक, नही तो क्यों ?	अधिसूचना सं०–438/नि०रा०, दिनांक–31.10.2019 के आलोक में रि–सर्वे कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–02/भू०अ०प०नि०, वि०स० (अ०सू०)–61/2021 694/नि०रा०, राँची, दिनांक– 16-12-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2294/वि०स०, दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2021
सरकार के उप सचिव।

F:\Archana\ vidhan sabha Sec2 *(Vikrant)*

डॉ सरफराज अहमद, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–17.12.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–18 का संशोधित उत्तर सामग्री।

क्रमांक	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि विधि विभागीय अधिसूचना संख्या–2618/जे0 दिनांक–14.11.2002 के द्वारा झारखंड राज्य विधि आयोग का गठन दो वर्षो के लिए किया गया था;	:–	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य विधि आयोग का विस्तार दिनांक–14.11.2019 तक किया गया है, परंतु आयोग के अध्यक्ष/सदस्य एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति आज तक नहीं हुई है;	:–	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। झारखंड राज्य विधि आयोग का कार्यकाल की अवधि विधि विभागीय अधिसूचना संख्या–972/जे0 दिनांक–30.07.2021 द्वारा दिनांक–13.11.2021 तक के लिए विस्तारित की गई है, परंतु दिनांक–31.10.2014 तक ही अध्यक्ष का नियुक्ति/पदस्थापन रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखंड राज्य विधि आयोग का कार्यकाल दिनांक–14.11.2019 से आगे विस्तारित कर अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति करने का विचार रखती है; हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	:–	वस्तुतः दिनांक–14.11.2002 को झारखंड राज्य विधि आयोग गठन के उपरांत लगातार समय–समय पर इसकी अवधि विस्तारित की गई। समय–समय पर आयोग को दिये गये अवधि विस्तार में आयोग में संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा का अवधि विस्तार दिया जाता रहा है। उक्त आयोग में दिनांक–31.10.2014 तक अध्यक्ष का नियुक्ति/पदस्थापन रहा है। दिनांक 01.11.2014 से दिनांक 13.11.2021 तक आयोग की अवधि विस्तारित तो की गई है, परन्तु उक्त अवधि में अध्यक्ष/सदस्य सचिव के पद पर किसी की नियुक्ति/पदस्थापन नहीं किया गया है । दिनांक–14.11.2021 से आयोग की अवधि का विस्तार एवं आयोग के अध्यक्ष/सदस्य सचिव एवं पदाधिकारीयों की नियुक्ति राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक–ए0/विधि–वि0स0प्र0–44/2021–1831/जे0 रॉंची, दिनांक– 16 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉंची को उनके ज्ञाप संख्या–2286/वि0स0, दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, रॉंची।

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–17 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में ऊर्जा विभाग की लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु विद्युत तार विच्छेद या अन्य कारणों से होने पर मृतक के परिजन/ आश्रित को मात्र दो लाख रूपये मुआवजा राशि भुगतान करने का प्रावधान है;	आंशिक स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि राज्य में वज्रपात (प्राकृतिक आपदा) से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा आपदा मुआवजा राशि के रूप में चार लाख रूपये मृतक के परिजन/ आश्रित को भुगतान करने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि विभागीय लापरवाही के कारण विद्युत विभाग द्वारा राज्य में अधिष्ठापित जर्जर विद्युत तारों के चपेट में आने से प्रतिवर्ष कई लोग मृत्यु अथवा आजीवन शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ऊर्जा विभाग की लापरवाही/ विद्युत तार विच्छेद के चपेट में आने से मृत अथवा शारीरिक विकलांगता के शिकार होने वाले व्यक्ति के परिजन/आश्रित को मिलने वाले मुआवजा राशि में वृद्धि कर वज्रपात (प्राकृतिक आपदा) के शिकार मृतकों को मिलने वाले आपदा मुआवजा राशि के अनुरूप चार लाख रूपये भुगतान करने तथा मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विद्युत स्पर्शाघात की घटना में मृत होने वाले व्यक्ति के परिजन/आश्रित को वर्तमान में मिलने वाले मुआवजा राशि में वृद्धि कर मुआवजा राशि रू० 4,00,000/- (रूपये चार लाख) मात्र किये जाने हेतु अनुशंसा झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को भेजी गई है। झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड स्तर से निर्णयोपरांत उक्त प्रावधान झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में स्वतः लागू हो जायेगी। निगम के नियमानुसार मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2410 /   दिनांक 16-12-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछा जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–19 का उत्तर प्रतिवेदन।

1. क्या यह बात सही कि राँची जिलान्तर्गत ईटकी यक्ष्मा आरोग्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 300 बेड का कोविड सेन्टर तीन माह के अन्दर निर्माण कराने का निर्देश दिया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2.क्या यह बात सही कि माननीय मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश के बाद भी लगभग 8 माह गुजर जाने के बाद भी आरोग्यशाला के इन्टर और महिला वार्ड को विकसित नहीं किया जा सका है ;	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, राँची के ज्ञापांक 1623 (II) दिनांक 26.10.2021 एवं ज्ञापांक 129 (I) दिनांक 30.11.2021 के अनुसार वैश्विक महामारी कोविड–19 के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रथम फेज में इन्टर वार्ड मे 150 बेड की व्यवस्था की जा रही है साथ ही द्वितीय फेज में एन०डब्लु०डब्लु वार्ड मे ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की गई है। विद्युत आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा मे 200 KVA का ट्रासफर्मर अधिष्ठापित करने हेतु कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, राँची को निदेश दिया जा चुका है। तथा वार्ड मे पहुँच पथ के लिए 1250 मीटर पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य कराने के लिए तकनीकी स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन ईटकी आरोग्यशाला, ईटकी, राँची मे प्रस्तावित कोविड अस्पताल (300 बेड) के सुचारू संचालन हेतु ईटकी आरोग्यशाला के परिसर मे पी०सी०सी० पथ के निर्माण की योजना के लिए कुल 58,94,700/–(अनठावन लाख चौरानबे हजार सात सौ) रूपया मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्र संख्या–59 (5) व दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्रदान कर दी गयी है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अवहेलना कर कार्य में शिथिलता बरतने वाले दोषी अधिकारियों को दंडित करने पर विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर् दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 15/वि0स0–07–58/2021...363(15) रॉची, दिनांक–16-12-2021

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉची को उनके ज्ञापांक–2299 वि0स0, दिनांक 12.12.2021 के क्रम में 200 प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

डॉ लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–03 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता डॉ लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि दिनांक-19.11.2021 को TTPS Lalpania के GM & DGM के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से बिना स्थानीण्य विधायक/सांसद की उपस्थिति में पर्चा के नाम पर्चा सत्यापन प्रतिदिन वैसे 40 रैयतों को वितरित किया गया जिसका पर्चा लगभग 35 वर्ष रैयतों को दिया जा चुका है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सरकारी कार्यक्रम में मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल समन्वय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद स्थानीय माननीय सांसद व विधायक को आमंत्रित किया गया है;	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक- 266, दि०-04.03.2016 के आलोक में जिले में किसी भी योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक/सांसद को आमंत्रित किया जाना निदेशित है। वर्णित कार्यक्रम किसी योजना के शिलान्यास अथवा उद्घाटन से संबंधित नहीं है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2413 / दिनांक 16-12-2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2021

(अजय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

श्री रामदास सोरेन, मा०स०वि०स० से प्राप्त दिनांक–17.12.2021 को पूछे जाने वाले वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–28 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला प्रखण्ड स्थित काडाडूबा पंचायत के काडाडूबा ग्राम में वर्ष–2007–2008 में सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातीय आवासीय विद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण कार्य प्रारंभ की गई थी;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक–2289, दिनांक– 15.12.2021 के अनुसार तारामणी उच्च विद्यालय काड़ाडुबा घाटशिला में 50 शय्या अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास निर्माण योजना का योजना संख्या 24/08–09 है। छात्रावास का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2008–09 में ही प्रारम्भ की गई थी। योजना निर्माण हेतु श्री रामबदन महतो, कनीय अभियंता (प्रभारी) मेसो क्षेत्र जमशेदपुर विभागीय अभिकर्त्ता नियुक्त थें।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित निर्माण कार्य की राशि की निकासी विभागीय पदाधिकारियों एवं सम्बन्धित संवेदक की मिलीभगत में कर उक्त कार्य को अब तक लम्बित छोड़ दिया गया है जिसका लाभ स्थानीय छात्रों को नहीं मिल पा रहा है	योजना की प्राक्कलित राशि 56,15,147.00 रू० है। योजना का मापी पुस्त में कुल राशि 56,00,407.00 रू० का मापी दर्ज है। अभिकर्त्ता को कुल राशि 55,00,407.00 रू० का भुगतान किया जा चुका है। उक्त छात्रावास बनने के पश्चात् लगभग दो से ढाई वर्ष तक पुलिस पिकेट के रूप में उपयोग किया जा रहा था। वर्तमान में छात्रावास खाली है। उपायुक्त द्वारा सूचित किया गया है कि छात्रावास की मरम्मति की आवश्यकता है। विभाग द्वारा उपायुक्त से मरम्मति हेतु प्रस्ताव की माँग की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत विभाग द्वारा मरम्मति हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित कर दी जाएगी। मरम्मति के उपरान्त छात्रावास को अविलम्ब तारामणी उच्च विद्यालय, काडाडुबा, घाटशिला को हैंडओवर कर दी जाएगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित कार्यो में लापरवाही करने वाले पदाधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई कर उक्त कार्य को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–10/Article 275(1)-वि०स०नि० 15/2021 - 3244 रॉंची, दिनांक– 16/12/2021

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप संख्या–2309, दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रशाखा–6 (विधायी कार्य), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(स्मृति कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

श्री अमर कुमार बाउरी स० वि० स० से प्राप्त दिनांक– 17.12.2021 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू0–25 का उत्तर–

क्र०	अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू0–25	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना पूरे देश में लागू की है?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना झारखण्ड सरकार ने अपने राज्य में लागू नहीं किया है जिस कारण राज्य के लाखों अनुसूचित जाति समाज के युवा इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं?	अस्वीकारात्मक। राज्य में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना लागू है। इस योजना अंतर्गत छात्र–छात्राओं द्वारा e-kalyan पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 23863 एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 में 26581 अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु नया मार्गनिर्देश लागू किया गया है। नए मार्गनिर्देश के अंतर्गत पूर्व के प्रावधान Committed Liability के स्थान पर केन्द्र और राज्य के बीच 60:40 की sharing पद्धति लागू की गई है। इससे राज्य सरकार को लाभ मिला है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुसूचित जाति के 51993 छात्र–छात्राओं द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु e-kalyan पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया गया है। विभाग द्वारा राज्य का share 40% राशि जिलों को आवंटित किया जा चुका है। शेष 60% राशि का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा की जानी है।
	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या राज्य सरकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना राज्य में लागू करने की मंशा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०(अल्प–सूचित)– 3243 रॉंची, दिनांक– 16|12|2021

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं०–2282 दिनांक– 12.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(स्मृति कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–23 की उत्तर सामग्री।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के हेहल अंचल स्थित खाता सं०–119, प्लॉट सं०–336, थाना नं०–140, मौजा–बजरा स्थित भूमि से संबंधित अभिलेखों की जाँच हेतु सरकार द्वारा नियुक्त श्री अंजनी कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि गठित SIT के द्वारा अपने जाँच रिपोर्ट विभाग को समर्पित कर दिया गया है।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार SIT जाँच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–9/आरोप–राँची (वि०स०अ०सू०)–261/2021 4278/रा0, दिनांक–16-12-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–2291/वि०स०, दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(14)

श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–17.12.21 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–15 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिले में कोरोना महामारी काल में संक्रमित मरीजों की संख्या के अनुरूप अस्पतालों में बेड की उपलब्धता कम होने तथा चिकित्सा व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण अधिकांश मरीजों को राँची तथा अन्य शहरों में जाना पड़ा था, जहाँ की दूरी अधिक होने के कारण कई गंभीर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते थे;	अस्वीकारात्मक। मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पलामू में कोरोना महामारी काल में मरीजों की सुविधा हेतु पर्याप्त बेड उपलब्ध था तथा 31 गंभीर मरीजों को रिम्स, राँची में रेफर किया गया। किसी भी गंभीर मरीज के रास्ते में दम तोड़ने की सूचना प्राप्त नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की तीसरी लहर (ओमिक्रॉन वरिएंट) को लेकर आशंकित तथा भयीमत है तथा वैश्विक स्तर पर इससे बचाव की तैयारी की जा रही है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि मेदिनीनगर, पलामू के पोखराहा में, पलामू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का भव्य आधारभूत संरचना बन कर तैयार है, परन्तु आजतक इसको चिकित्सीय सुविधा युक्त बनाकर प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पलामू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को आधुनिक चिकित्सा सुविधा से सुसज्जित कर शीघ्रताशीघ्र प्रारंभ कराकर पलामू जिले के मरीजों को जिले के अन्दर ही पर्याप्त मात्रा में उच्चस्तरीय जीवन रक्षक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज के पास मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पलामू का भवन निर्माणाधीन है। वर्तमान में सदर अस्पताल, पलामू को उत्क्रमित कर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी–06-22/2021 – 572(5)   राँची, दिनांक– 15|12|21

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–2297 दिनांक–12-12-2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.12.21

सरकार के अवर सचिव

Tiwari

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–12 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल का बकाया भुगतान में Delay Payment Surcharge को माफ करने की योजना लागू की है;	स्वीकारात्मक। ग्रामीण घरेलु उपभोक्ताओं को "एकमुश्त समझौता योजना" के तहत विलंब शुल्क अधिभार की राशि में छूट प्रदान की जा रही है। उक्त योजना दिनांक 31.12.2021 तक लागू है।
2. क्या यह बात सही है कि इस योजना का लाभ उठाने में उपभोक्ताओं को बिजली बिल में व्यापक गड़बड़ी एवं अड़चन पैदा हो रही है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं के कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए बिजली बिल में हुई गड़बड़ी में त्वरित संशोधन हेतु एक विशेष अभियान चलाना चाहती है ताकि उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी योजना का लाभ मिल सके, हाँ, तो कब तक, नहीं क्यों ?	"एकमुश्त समझौता योजना" का लाभ उठाने वाले ग्रामीण घरेलु उपभोक्ताओं के विपत्र में यदि त्रुटि संज्ञान में आता है, तब संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा विपत्र संशोधित किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बड़े पैमाने पर "एकमुश्त समझौता योजना" के प्रचार प्रसार हेतु कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कैंप में उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्र में संशोधन का कार्य भी किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2411 /   दिनांक 16-12-2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक–17.12.2021 को सदन में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–09 का उत्तर सामग्री।

	अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–09		उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण अधिनियम 2018, विधानसभा से पारित होने के बावजूद आज तीन साल पश्चात् भी इसके आलोक में नियमावली नहीं बनाई गई है ;	:–	अस्वीकारात्मक। विधि विभागीय अधिसूचना संख्या–1270/जे0, दिनांक–10.09.2021 के द्वारा Jharkhand Advocate's Clerks Welfare Fund Rules, 2020 गठित की जा चुकी है।
2.	क्या यह बात सही है कि कोविड संकट में पाबंदियों के कारण वकीलों के भी आर्थिक संकट बढ़े हैं ?	:–	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त तथ्य सत्य है तो क्या सरकार तत्काल नियमावली बनाते हुए उसमें 5 लाख रूपयें की मेडिकल बीमा और 10 लाख का टर्म इंशोरेंस की सुविधा देने का प्रावधान रखना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	:–	विधि विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना सख्या– 457/जे0, दिनांक–24.04.2020 के द्वारा झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम, 2018 की धारा–(4) की उप धारा–(1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति का गठन किया जा चुका है। झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम, 2018 की धारा–(18) में **सदस्यों के लिए समूह जीवन बीमा और अन्य लाभ** शीर्षक के अंतर्गत अंकित बिंदु निम्नवत हैं :– (क) निधि के सदस्यों के कल्याण के लिए समिति भारतीय जीवन बीमा या किसी अन्य बीमा कम्पनियों से निधि के सदस्यों के जीवन पर समूह बीमा की पॉलिसी लेगी और (ख) निधि के सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए यथा विहित चिकित्सीय एवं शैक्षणिक सुविधा तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी। अतएव, अंतर्निहित विषय बिंदु झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति के क्षेत्राधीन हैं।

झारखण्ड सरकार,
विधि विभाग,

ज्ञापांक–ए0/विधि–(वि0स0प्र0)–45/2021– 1813 /जे0, राँची, दिनांक– 15 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को ज्ञाप सं0–2287/वि0स0, दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव –सह–विधि परामर्शी।

1505
16/12/2021

श्री अमित कुमार यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – 08 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना से मृत्यु होने पर 1.5 लाख रूपये तथा अपंजीकृत प्रवासी मजदूरों को 1 लाख रूपये मुआवजा राशि का भुगतान प्रावधानित है। जबकि अन्य राज्यों में दुर्घटना से मृत्यु होने पर प्रवासी मजदूरों को 4 लाख रूपया मुआवजा राशि दिया जाता है;	अन्य राज्यों में प्रवास की स्थिति में प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत्यु होने पर झारखण्ड राज्य के पंजीकृत प्रवासी कर्मकारों को रूपये 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) एवं अपंजीकृत कर्मकारों को रूपये 1,00,000/–(रूपये एक लाख) का भुगतान उनके आश्रितों को किया जाना प्रावधानित है।
2	क्या यह बात सही है कि बिमारी एवं अन्य कारणों से मृत्यु होने पर प्रवासी मजदूरों को किसी प्रकार का मुआवजा राशि नहीं दिया जाता है;	कंडिका – 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर प्रवासी मजदूर के परिजन को 5 लाख रूपया मुआवजा देने का प्रावधान करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका – 1 में वर्णित प्रावधान में परिवर्तन सम्प्रति प्रस्तावित नहीं है।

16/12/2021
(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–17/2021श्र0नि0–1505 राँची, दिनांक– 16/12/2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–2288, दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/2021
सरकार के अवर सचिव।

18

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत् राहत दी जा रही है;	स्वीकारात्मक। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को "एकमुश्त समझौता योजना" के तहत विलंब शुल्क अधिभार की राशि में छूट प्रदान की जा रही है। उक्त योजना दिनांक 31.12.2021 तक लागू है।
2. क्या यह बात सही है कि शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए खण्ड-1 में वर्णित सुविधा उपलब्ध नही है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि शहरी क्षेत्रों में भी खास कर नगर पंचायत क्षेत्र में काफी अधिक संख्या में निर्धन परिवार प्रवास करते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में भी खास कर नगर पंचायत क्षेत्र में भी डी०पी०एस० माफी करते हुए वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2417 /　　　　　　　　　　दिनांक 16-12-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

(19)

1510
16/12/2021

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – 10 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
	क्या यह बात सही है कि राज्य के नियोजनालयों में लाखों शिक्षित बेरोजगारों के नाम दर्ज है;	स्वीकारात्मक है।
	क्या यह बात सही है कि शिक्षित बेरोजगारो को नौकरी नहीं मिलने या उनके पास जीविकोपार्जन की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है;	राज्य के नियोजनालयों में निबंधित शिक्षित बेरोजगारों को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोविड–19 हेतु निर्गत मार्गदर्शिका का अनुपालन करते हुए समय–समय पर भर्त्ती कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में 89 भर्त्ती कैम्पों का आयोजन कर 1,915 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये है।
	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलने या जीवकोपार्जन की उचित व्यवस्था नहीं होने तक मासिक भत्ता देने की इच्छा रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को मासिक भत्ता देने हेतु सरकार स्तर पर विचाराधीन है।

16/12/2021
(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र०नि०प्र०(वि०स०)–05–16 / 2021श्र०नि०– 1510 राँची, दिनांक– 16/12/2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2289, दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/2021
सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Shiv Shakti\Vidhan Sabha\Shiv\05-16-2021 E..docx

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–13 का प्रश्नोत्तर :–

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स०</td><td>माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।</td></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्य के सभी जिलों में करीब 20,000 से अधिक दाखिल–खारिज (म्यूटेशन) के मामले लंबित है, जबकि राज्य में झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम प्रभावी है, और इसके अंतर्गत आपत्ति वाले म्यूटेशन के मामलों को 90 दिनों में एवं बिना आपत्ति वाले म्यूटेशन के मामलों को 30 दिनों के अंदर निष्पादित करने का स्पष्ट प्रावधान है ;</td><td>
आंशिक स्वीकारात्मक
दिनांक–15.12.2021 तक जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बोकारो जिला में दाखिल–खारिज के 3991 मामले सहित पुरे राज्य में कुल–67923 मामले लंबित हैं।
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–11086, दिनांक–29.12.2015 द्वारा झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत दाखिल–खारिज वादों के निष्पादन हेतु समय–सीमा अधिसूचित किया गया है।
दाखिल–खारिज सेवा के लिए नियत–समय सीमा की विवरणी इस प्रकार है :–
<table>
<tr><th>Services</th><th>Designated Officer</th><th>Time limit</th><th>Ist Appellate Authority</th><th>Time limit for Disposal of 1st Appeal</th><th>2nd Appellate Authority</th><th>Time limit to disposal of 2nd Appeal</th></tr>
<tr><td>दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन – आपत्ति रहित वाद</td><td>अंचल अधिकारी</td><td>30 days</td><td>भूमि सुधार उप समाहर्त्ता</td><td>30 days</td><td>समाहर्त्ता /अपर समाहर्त्ता</td><td>30 days</td></tr>
<tr><td>दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन–वाद जिसमें आपत्ति दाखिल की गयी हो।</td><td>अंचल अधिकारी</td><td>90 days</td><td>भूमि सुधार उप समाहर्त्ता</td><td>30 days</td><td>समाहर्त्ता /अपर समाहर्त्ता</td><td>30 days</td></tr>
<tr><td>दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन – अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव से संशोधन पर्ची का निर्गमन</td><td>अंचल अधिकारी</td><td>03 days</td><td>भूमि सुधार उप समाहर्त्ता</td><td>30 days</td><td>समाहर्त्ता /अपर समाहर्त्ता</td><td>30 days</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि वर्तमान में केवल राजधानी राँची के 22 अंचलों में 9,262 म्यूटेशन के मामले लंबित है, इनमें 482 मामलें ऐसे हैं, जिसमें कोई भी आपत्ति नहीं है ;</td><td>
आंशिक स्वीकारात्मक।
<table>
<tr><th colspan="7">दिनांक–15.12.2021 तक दाखिल–खारिज से संबंधित प्रतिवेदन–</th></tr>
<tr><th colspan="3"></th><th colspan="3">कुल लंबित आवेदनों की संख्या</th><th></th></tr>
<tr><th>जिला</th><th>कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या</th><th>कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या</th><th>कुल लंबित माले</th><th>30 दिनों से अधिक और बिना आपत्ति के लंबित मामले</th><th>90 दिनों से अधिक और आपत्ति के साथ लंबित मामले</th><th>कुल अस्वीकृत मामले</th></tr>
<tr><td>राँची</td><td>269953</td><td>113971</td><td>14492</td><td>35</td><td>390</td><td>141490</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

कृ०पृ०उ०

3	क्या यह बात सही है कि पिछले वर्ष दिसम्बर, 2020 में राँची में ससमय म्यूटेशन निष्पादित न करने पर 16 अंचल अधिकारियों पर झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत् 11.42 लाख रूपये का जुर्माना लगाया था, जिसका पूर्ण भुगतान अब तक नहीं किया गया है एवं स्थिति और अधिक भयावह होती जा रही है तथा दिन–प्रतिदिन भूमि विवाद के मामले बढ़ते ही जा रहे है ;	आंशिक स्वीकारात्मक राँची समारहणालय, राँची का पत्रांक–553, दिनांक–16.12.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपायुक्त, राँची के न्यायालय में झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत् कुल–14 (चौदह) अंचल अधिकारियों पर एक माह से अधिक कुल–89 (नवासी) मामले एवं तीन माह से अधिक कुल–111 (एक सौ ग्यारह) मामलों पर सुनवाई की जा रही है। जुर्माना में कुल सन्निहत राशि उपायुक्त, राँची के न्यायालय के आदेश के उपरान्त निर्धारित किया जाना है। वर्तमान में उपायुक्त, राँची के न्यायालय में वाद की सुनवाई की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त लंबित दाखिल–खारिज (म्यूटेशन) के मामलों को 1 माह में निष्पादित करवाते हुए दोषी पदाधिकारियों–कर्मचारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यो ?	विभागीय पत्रांक–1039, दिनांक–04.03.2021 द्वारा दाखिल–खारिज वादों के निष्पादन हेतु अधिसूचित समय–सीमा में दाखिल–खारिज वादों का निष्पादित नहीं किये जाने पर झारखण्ड सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा–7 एवं 08 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अंचल अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी पर कार्यवाही करने हेतु सभी उपायुक्त, झारखण्ड को निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6/वि0स0– (अल्प–सूचित)–320/2021.4289/रा0, दिनांक– 16-12-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2292/वि0स0, दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 10 (दस) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/XII/2021
सरकार के अवर सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

श्री दीपक बिरूवा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-30 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री दीपक बिरूवा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत टोन्टो प्रखण्ड के टोला उलीबेड़ा में आजादी के 74 वर्षों के बाद भी विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु चार वर्ष पूर्व विभाग द्वारा खम्भे गिराये गए जा जस के तस हैं, जिस कारण इस युग में भी ग्रामीण डिबरीयुग में जीने को मजबूर हैं;	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि संबंधित क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु विभाग को कई बार ग्रामीणों द्वारा आवेदन दिया जा चुका है;	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित क्षेत्र में विद्युतीकरण बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं क्यों?	टोन्टो प्रखण्ड के सागरकट्टा ग्राम के उलीबेड़ा टोला को जनवरी 2022 तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2407 / दिनांक 16-12-2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

प्रो स्टीफन मराण्डी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता प्रो स्टीफन मराण्डी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिले के प्रखण्ड कुण्डहित एवं फतेहपुर के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोग बिजली की अनियमित आपूर्ति की समस्या से जूझ रहे हैं, इससे निजात अबतक उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाया हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। कुण्डहित एवं फतेहपुर के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, कुण्डहित से विद्युत आपूर्ति की जाती है। उक्त विद्युत शक्ति उपकेन्द्र में 132/33 के०भी० ग्रिड सब स्टेशन जामताड़ा से विद्युत संप्रेषित की जाती है। 132/33 के०भी० ग्रिड सब स्टेशन जामताड़ा एवं 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, कुण्डहित की दूरी लगभग 50 कि०मी० है। 33 के०भी० लाईन में खराबी की स्थिति में लम्बी दूरी के कारण फॉल्ट को खोजकर ठीक करने में समय लग जाता है जिसके कारण संबंधित क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने में विलंब होती है। वर्तमान में झारखण्ड संपूर्ण आच्छादन योजना (JSBAY) के तहत फतेहपुर प्रखण्ड अन्तर्गत मंझलाडीह में एक 33/11 के०भी० का विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माणाधीन है, जिसके पूर्ण होने पर उक्त विद्युत शक्ति उपकेन्द्र से भी फतेहपुर प्रखण्ड के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित समस्याओं को देखते हुए प्रखण्ड कुण्डहित क्षेत्र में 132KV/ 33KV ग्रिड का अधिष्ठापन हेतु भूमि चिन्हित कर कार्य शुरू करने का निर्णय विभागीय स्तर से लिया गया था, परन्तु अबतक कार्य शुरू नहीं हो पाई है;	आंशिक स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के विद्युत समस्याओं के निदान हेतु विद्युत ग्रिड का निर्माण शीघ्र चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं क्यों?	कुण्डहित क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति जामताड़ा स्थित ग्रिड सब–स्टेशन से की जा रही है एवं जामताड़ा ग्रिड को एक मात्र सोर्स मैथन हाइडल सब–स्टेशन था, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति अनियमित रहती थी। वर्तमान में जामताड़ा ग्रिड को जसीडीह ग्रिड से भी जोड़ दिया गया है। जिसके उपरांत इस क्षेत्र में विद्युत उपलब्धता बढ़ गई है। साथ ही नये ग्रिड बनाने हेतु विशेषज्ञ के द्वारा Load Flow Study कराया गया। जिसमें पाया गया कि वर्त्तमान परिपेक्ष्य में कुण्डहित ग्रिड सब–स्टेशन की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2412 /   दिनांक 16-12-2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची, को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

23

1507
16/12/2021

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ०सू०–05 का उत्तर सामग्री।

क्र.सं.	प्रश्नकर्त्ता **श्री जय प्रकाश भाई पटेल,** माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता **श्री सत्यानन्द भोक्ता** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण हेतु सरकार द्वारा जिला मुख्यालयों में व्यवस्था की जाती है;	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** झारखण्ड राज्य के युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सरकार कृत संकल्पित है। झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के सूचीबद्ध प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के द्वारा विभिन्न कौशल योजनाओं के अंतर्गत जिलो एवं प्रखण्डों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर कौशल प्रशिक्षण कार्य संचालित किये जा रहे हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि कौशल विकास एवं प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे युवक/युवतियों को प्राप्त नहीं होती है, जिससे सरकारी लाभ से लोग वंचित रह जा रहे है;	**अस्वीकारात्मक।** झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास प्रशिक्षण योजनाओं की समस्त जानकारी मिशन सोसाईटी के अधिकृत वेबसाईट http://jsdm-jharkhand.gov.in पर ऑनलाईन उपलब्ध है, जिसे कभी भी खोलकर कौशल प्रशिक्षण से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रखण्ड स्तरीय आयोजित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त उत्तर खण्ड – 1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

16/12/2021
(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–19/2021श्र0नि0–1507 राँची, दिनांक–16/12/2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2284, दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/2021
सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Shiv Shakti\Vidhan Sabha\Shiv\05-19-2021 S..docx

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–06 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य मे सी0एन0टी0 लागू है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कुरमी/कुड़मी जाति जो Annexure-1 (अनुलग्नक–1) में आते है, और उन्हे बैंक के द्वारा कर्ज का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उसका विकास प्रभावित हो रहा है एवं आर्थिक समस्या से जूझ रहे है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। "बिहार शिड्यूल्ड एरियाज रेंगुलेशन" लिस्ट ऑफ बैकवार्ड क्लासेज के संदर्भ में निर्गत अधिसूचना संख्या–ए/टि0–3043/61–5423–आर, दिनांक–23 जून, 1962 में सी0एन0टी0 एक्ट की धारा–46(i)(b) के अन्तर्गत अच्छांदित जातियों की सूची के क्रमांक–36 में कुरमी (महतो) अंकित है। सी0एन0टी0 एक्ट के अन्तर्गत अच्छांदित जातियों के गृह निर्माण/व्यवसायिक अग्रिम के मामलों में निबंधन कार्यालय द्वारा जमीन का बंधक पट्टा (Mortagage) मात्र 5 वर्षो के लिए सम्पादित करने के कारण बैंको द्वारा 05 वर्षो के लिए ही गृह निर्माण/व्यवसायिक ऋण दिया जाता है। विदित हो कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT) की धारा–46(1) (a) में निम्नवत् उल्लेख होने के कारण मात्र 05 वर्षो के लिए बंधक पट्टा (Mortagage) किया जाता है :– (a) by mortgage or lease for any period expressed or implied which exceeds or might in any possible event exceed five years, or (बंधक या पट्टे द्वारा अभिव्यक्त ऐसी किसी भी कालावधि के लिए पाँच वर्षो से अधिक हो या किसी भी संभव दशा में अधिक हो सकती हो, अथवा)
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कुरमी/कुड़मी जाति को भूमि एवं मकान के एवज में बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्धता सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यो ?	CNT की धारा–46(1) (a) का परन्तुक मे निम्नवत् उल्लेख है :– Provided that a raiyat may enter into a 'bhugut bundha' mortgage of his holding or any portion thereof for any period not exceeding seven years or if the mortgagee be a society registered or deemed to be registered under the Bihar and Orissa Co-operative Societies Act, 1935 (B&O Act VI of 1935) for any period not exceeding fifteen Years. (परंतु कोई रैयत अपनी जोत या उनके किसी भाग को, सात वर्षो से अनधिक किसी भी कालावधि के लिए अथवा यदि

		बंधकदार बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 (1935 का बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम संख्या–06) के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी गयी कोई समिति हो तो, 15 वर्षों से अनधिक किसी कालावधि के लिए भुगुतबंध बंधक कर सकेगा) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT) की धारा–46(1) (a) के स्थान पर धारा–46(1)(a) का परन्तुक को आधार मानते हुए गृह निर्माण / व्यवसायिक कार्य हेतु अग्रिम मामलों में जिला निबंधन कार्यालय द्वारा जमीन का बंधक पट्टा (Mortagage) 05 वर्षों के स्थान पर 15 वर्षों के लिए सम्पादित करने पर सी0एन0टी से अच्छादित समुदाय के व्यक्तियों को बैंकों द्वारा गृह निर्माण / व्यवसायिक ऋण असानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। इस संदर्भ में विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य प्राप्त कर विधि सम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6 / वि0स0– (अल्प–सूचित)–322 / 2021.4287/रा0, दिनांक–16-12-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2290 / वि0स0, दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 10 (दस) प्रतियों के साथ / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/XII/2021

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड विधानसभा में श्री संजीव सरदार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–34 का उत्तर प्रतिवेदन प्रारूप।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के चिकित्सा संस्थान में कार्यरत/अध्यनरत पी0जी0 प्रथम वर्ग, कोविड मेडिकल ऑफिसर/हाउस सर्जन चिकित्सक हैल्थ वर्कस के द्वारा कोविड महामारी के समय उल्लेखनीय कार्य किये है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य संपादित करने वाले कर्मी को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का आदेश निर्गत हुआ था;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0–54 (7) दिनांक–01.05.2021 के द्वारा कोविड कार्यों में लगे राज्य सरकार के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों (संविदा सहित) तथा एन0एच0एम0 के अधीन कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल तथा कर्तव्य निर्वहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें एक माह (अप्रैल–2020) के मूल वेतन/मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि सिर्फ चिकित्सक एवं हेल्थ वर्कस को ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान हुआ जबकि हाउस सर्जन/कोविड मेडिकल ऑफिसर एवं पी0जी0 प्रथम वर्ष को प्रोत्साहन राशि से वंचित किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उक्त संकल्प में प्रोत्साहन राशि हेतु राज्य सरकार के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभागीय अन्य कर्मियों (संविदा सहित) तथा एन0एच0एम0 के अधीन कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों जिनके द्वारा COVID-19 Related Contact Tracing, Testing, Supervision कोविड अस्पताल/ कोविड वार्ड में कार्यरत, कार्यालय तथा कंट्रोल रूम में कोविड से संबंधित कार्यों एवं कोरोना वायरस के रोकथाम चिकित्सा में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन किया गया हो, पात्रता रखी गई है। वैसे चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी एवं स्वास्थ्य विभागीय अन्य कर्मी जिनके द्वारा कोविड–19 संकमण काल में कोविड–19 से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया है, यह प्रोत्साहन राशि अनुमान्य नहीं है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रोत्साहन राशि से वंचित डॉक्टर इत्यादि को भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–3 में वर्णित मापदण्ड के आलोक में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु कर्मी की पात्रता सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय प्रधान को दी गई है। तदनुसार संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा उपर्युक्त मापदण्ड की परिसीमा में आने वाले चिकित्सक/स्वास्थ्य कर्मी को ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 08/विधान सभा(अल्पसूचित)–04/2021 4708 राँची, दिनांक– 16.12.2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–2307 वि० स० दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

16.12.2021

(मनोज कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

डॉ सरफराज अहमद, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–17.12.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–20 का उत्तर सामग्री।

क्रमांक	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत JSRRDA/झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद/उर्जा विभाग के अंतर्गत TVNL/उद्योग विभाग के अंतर्गत जियाडा/झारखंड राज्या खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड/झारखंड राज्य आवास बोर्ड में डा0 अशोक कुमार सिंह एवं श्रीमती ऋचा संचिता विद्वान महाधिवक्ता एवं प्रधान सचिव, विधि विभाग के परामर्श से स्वतंत्र अधिवक्ता बनाए गये है,	:–	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विधि विभाग, झारखंड, राँची के अधिसूचना संख्या–439/जे0 दिनांक–16.02.2018 द्वारा अधिसूचित The Jhakrhand Law Officer (Engagement) Rules, 2018 की कंडिका–(3)(7) में निहित प्रावधान निम्नरूपेण है:– "In relation to the Boards, Corporations and other authorities funded and run by the funds of the State Government the engagement of the Retained Counsels or Arguing Counsels shall be made by the concerned Boards, Corporations or other authorities either from amongst the Law Officers engaged for the State Govt. in the Jharkhand High Court or Supreme Court of India on payment of remuneration as prescribed by them or as per the independent decision of such Boards, Corporations and authorities but for that purpose a transparent procedure shall be adopted by them in consultation with the Advocate General of the State of Jharkhand and Principal Secretary, Department of Law (Justice), State of Jharkhand."
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्य 21 संस्थान/निगम/बोर्ड में या विभाग के लिए कोई अन्य अधिवक्ता सेवारत नहीं है।	:–	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित संस्थान निगम/बोर्ड/कार्यालय या विभाग के वादो में सरकार का पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र अधिवक्ता रखने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	:–	कंडिका–1 एवं 2 से वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक–ए0/विधि–वि0स0प्र0–46/2021–1822/जे0 राँची, दिनांक–16 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2285/वि0स0, दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–सा0–31 का उत्तर प्रतिवेदन।

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कार्य शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड–19 महामारी के दौरान घर–घर भ्रमण कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता तथा स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने में सहियाओं द्वारा अहम भूमिका निभायी जा रही है;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही कि वर्ष 2007 से वर्ष 2021 तक उक्त सहियाओं को मात्र 2000/–रू0 की दर से प्रतिमाह मानदेय राशि दिया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत् सहियाओं को सामुदायिक गतिविधियों के लिए 2000/–रू0 प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि के साथ–साथ 21 विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधियों के उत्प्रेरण एवं सहयोग हेतु कार्याधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है, जो MOHFW एवं झारखण्ड सरकार के 60:40 अनुपातिक राशि है। (अनुलग्नक–1) कोविड–19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता एवं स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने हेतु सहियाओं को कार्याधारित प्रोत्साहन राशि के साथ ही 1000/–रू0 प्रतिमाह की दर से Emergency COVID Response Plan (ECRP) Phase-I के मद से वर्ष 2021–22 में अप्रैल से मार्च 2022 तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विकट परिस्थितियों में भी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करने वाले सहियाओं को 10,000/–रू0 प्रतिमाह मानदेय/प्रोत्साहन राशि देने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	कंडिका (2) में वर्णित सहिया के कार्याधारित प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त उन्हें सम्मान पूर्ण प्रति माह 5000/–रू0 बतौर मानदेय के लिए माननीय मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुशंसा पत्र माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को दिनांक 05.12.2021 को प्रेषित की गई है। (अनुलग्नक –2)

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–28/2021..127(21) रॉंची, दिनांक–16/12/2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉंची को उनके ज्ञापांक–2313 वि0स0, दिनांक 12.12.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2021
सरकार के अपर सचिव।

jully kumari

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–16 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र	प्रश्न	उत्तर
	श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0	**प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड,राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिसूचना 424, दिनांक–05.08.2005 द्वारा प्रकाशित गजट के आलोक में हाल सर्वे के आधार पर लातेहार जिला में सर्वे कार्य किया गया है, उक्त सर्वे में हुई त्रुटियों के कारण भू–स्वामियों को हो रही कठिनाईयों के मद्देनजर अंतिम प्रकाशित सभी अंचलों के राजस्व ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण कराने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–438, दिनांक– 31.10.2019 निर्गत किया गया है जिसका अनुपालन आज तक नहीं हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या–438, दिनांक–31.10.2019 के आलोक में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित बिना पुनः भू–सर्वेक्षण के खतियान एवं पंजी–2 का मिलाने किये वगैर ऑन लाईन राजस्व लगान काटा जा रहा है जिससे स्थानीय ग्रामीणों को कठिनाई एवं विवाद का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। अंतिम प्रकाशित खतियान (पूर्व सर्वे) के आधार पर राजस्व लगान निर्गत किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जल्द से जल्द पुनः भू–सर्वेक्षण कराने एवं भू–सर्वेक्षण करवाने तक ऑन लाईन रसीद काटना स्थगित रखना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। सर्वे एक समय लगने वाली प्रक्रिया है। पुनः सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक लगान रसीद निर्गत करने की प्रक्रिया को स्थगित रखना जनता के हित में उचित प्रतीत नहीं होता है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–02/भू0अ0प0नि0, वि0स0 (अ0सू0)–62/2021..695../नि0रा0,   राँची, दिनांक–16-12-2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2293/वि0स0, दिनांक–22.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2021
सरकार के उप सचिव।

F:\Archana\ vidhan sabha Sec2 *(Vikrant)*

झारखण्ड विधानसभा में श्री अमित कुमार मण्डल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में नेशनल ब्लड पॉलिसी (SOP) सरकारी एवं निजी अस्पताल पर लागु है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि कल्याणकारी राज्य में ब्लड (खून) मॉंग के आधार पर मुफ्त देने का प्रावधान है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सरकारी रक्त केन्द्रों से सरकारी अस्पताल के मरीजों को निःशुल्क रक्त इकाई उपलब्ध करायी जाती है। 2. निजी रक्त केन्द्रों, चेरिटेबल रक्त केन्द्रों एवं कुछ सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के अधीन संचालित रक्त केन्द्रों द्वारा रक्त इकाई का प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प द्वारा अब सरकार ब्लड (खून) मॉंग के आधार पर एक निर्धारित राशि की वसूली करेगी;	अस्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि राज्य के कोई जिलों में ब्लड बैंक नही है या ब्लड बैंक है तो खून के कमी रहने कारण आयुष्मान कार्डधारीयों को मजबूरन निजी अस्पतालों में रक्त के लिए भटकना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैसे गरीब आयुष्मान कार्डधारीयों के लिए निजी अस्पतालों में बिना किसी प्रोसेसिंग चार्ज के रक्त उपलब्ध कराने की मंशा रखती है, हाँ तो, कबतक, नही तो क्यों ?	आयुष्मान कार्डधारीयों के रक्त इकाई से संबधित प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान आयुष्मान योजना के अन्तर्गत भुगतान होता है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 04/वि0 स0–09–02/2021 51 (4)　　　रॉंची, दिनांक– 15/12/21

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रॉंची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0–2298 वि0 स0 दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

15.12.2021

(मनोज कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

श्रीमती पुष्पा देवी, स० वि० स० से प्राप्त दिनांक– 17.12.2021 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–24 का उत्तर–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष झारखण्ड के आदिम जनजाति, अनु० जनजाति, अनु० जाति बाहुल ग्रामों में PVTG एवं गैर PVTG योजना अन्तर्गत PCC सड़क, तालाब,सरना देव स्थल घेराबंदी एवं धुमकुड़ीया भवन निर्माण करने की योजना है?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष कब्रिस्तान चाहरदीवारी की योजना भी होती है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में उपर्युक्त वर्णित योजना खासकर पलामू जिले में एक भी योजना धरातल पर न हो पाया है;	अस्वीकारात्मक। जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू के पत्रांक–1020, दिनांक–15.12.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि– 1. वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 06 (छ:) सरना स्थल की घेराबंदी योजनाएँ एवं कुल 19 (उन्नीस) धुमकुड़िया भवन निर्माण योजनाएँ स्वीकृत हैं तथा सभी पर कार्य प्रारंभ है। 2. कब्रिस्तान घेराबंदी की विभाग द्वारा स्वीकृत सभी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत 9 कब्रिस्तान घेराबंदी की योजनाएं प्रगति पर हैं तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत 10 कब्रिस्तान घेराबंदी की योजनाओं के लिए लाभुक समिति का चयन किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित योजनाओं को आदिम जनजाति, अनु० जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों के लाभ हेतु क्रियान्वयन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–06/वि०स०अल्प०सू०प्र०–04/21– 3250 रॉंची, दिनांक– 16/12/2021

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं०–2081, दिनांक– 12.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(स्मृति कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स० से प्राप्त दिनांक–17.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–22 का उत्तर प्रतिवेदन:–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखण्ड शिकारीपाड़ा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसान एवं मजदूरी है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड शिकारीपाड़ा अन्तर्गत राज्य संपोषित+2 उच्च विद्यालय शिकारीपाड़ा का छात्रावास भवन जर्जर व खंडहर हो गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त भवन के जर्जर व खंडहर होने के कारण छात्रों को पढ़ाई करने में दूर दराज से आने वालों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उपरोक्त विद्यालय भवन के जर्जर व खंडहर छात्रावास को ध्वस्त कर छात्रों के हित में 100 (एक सौ) शैय्या का छात्रावास भवन का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संविधान के अनुच्छेद 275(1) योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष 2022–23 के योजना प्रस्ताव में उक्त योजना को सम्मिलित करते हुए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति हेतु समुचित कार्यवाही की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–10/Article 275(1)-वि०स०नि० 14/2021 - 3245 रॉंची, दिनांक–16/12/2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप संख्या–2280, दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रशाखा–6 (विधायी कार्य), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(स्मृति कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने एक नीतिगत निर्णय के तहत् टाटा लीज नवीकरण समझौता–2005 में जमशेदपुर की वैसी 1750 एकड़ जमीन लीज से बाहर कर दिया गया था जिनपर 86 बस्तियाँ बसी थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। टाटा लीज नवीकरण समझौता–2005 में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र के कुल–13 वार्डों की अतिक्रमित भूमि से संबंधित कुल–723.14.55 हे0 = 1786.89 एकड़ भूमि लीज से अलग कर सरकार के खाते में निहित की गयी।
2	क्या यह बात सही है कि बस्तियों की बासगीत भूमि को बाशिंदों के नाम बंदोबस्त करने के लिए ऐसा किया गया था और इस हेतु वर्ष–2006–07 में एक सर्वे भी किया गया था ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना सं–150/सर्वे, दिनांक–15.06.2006 द्वारा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के वार्ड सं0–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एवं 19 कुल–सोलह वार्ड के सर्वेक्षण एवं खतियान तैयार करने की अधिसूचना निर्गत की गई थी। उक्त अधिसूचना के आलोक में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–208/एस0, दिनांक–18.08.2009 द्वारा सर्वेक्षण प्रतिवेदन विभाग को भेजी गई।
3	क्या यह बात सही है कि बस्तियों की आवासित भूमि की बाशिंदों के नाम बंदोबस्ती कर घरों का होल्डिंग नम्बर देने से सरकार को अरबों रूपये की आमदनी होगी मगर बंदोबस्ती की विहित प्रक्रिया शिथिल है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सरकारी भूमि पर अवैध दखलकारों के साथ अधिकतम 10 डिसमिल तक आवासीय उद्‌देश्य हेतु भूमि की लीज बंदोबस्ती करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–817/रा0, दिनांक–22.02.2018 निर्गत की गयी है, जो उपरोक्त तथाकथित बस्तियों के लिए भी प्रभावी है। उक्त के आलोक में बस्तियों में प्रचार–प्रसार कर कई दिनों तक कैम्प लगाया गया था, परन्तु बस्तिवासियों द्वारा रूचि नहीं लेने के कारण लीज बंदोबस्ती की प्रक्रिया नहीं हो पायी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन बस्तियों की आवासित भूमि को बाशिंदों के नाम बंदोबस्त कर संबंधित संबंधित घरों को होल्डिंग संख्या देने का विचार रखती है, हाँ, तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	सरकारी भूमि पर अवैध दखलकारों के साथ अधिकतम 10 डिसमिल तक आवासीय उद्‌देश्य हेतु भूमि की लीज बंदोबस्ती करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–817/रा0, दिनांक–22.02.2018 निर्गत की गयी है, जो उपरोक्त तथाकथित बस्तियों के लिए भी प्रभावी है। वर्तमान में उक्त लीज बंदोबस्ती की शक्ति विभागीय पत्रांक–4064/रा0, दिनांक–25.10.2019 के द्वारा संबंधित उपायुक्त को प्रत्यायोजित की गयी है।

कृ0पृ0उ0

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक– 4/वि०स०(अ०सू०)–100/2021.4285(4)/रा०   राँची, दिनांक–16-12-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–2296/वि०स०, दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 5 (पाँच) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/21

सरकार के संयुक्त सचिव।

34

1509
16/12/2021

श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–32 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री मनीष जायसवाल माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान सभा क्षेत्र के सदर प्रखण्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) स्थापित है परन्तु अबतक–उक्त संस्थान चालू नहीं की गई है;	उत्तर– अस्वीकारात्मक है। हजारीबाग विधान सभा क्षेत्र के सदर प्रखण्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग (सिंदूर) चालू अवस्था में है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार खण्ड–01 में वर्णित संस्थान में पठन–पाठन का कार्य न कराकर उक्त संस्थान में कोविड संस्थान केन्द्र संचालित कर रही है जिसके कारण उक्त क्षेत्र के छात्रों को उक्त संस्थान का लाभ नहीं मिल रही है;	उत्तर– अस्वीकारात्मक है। सदर प्रखण्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग (सिंदूर) में कोई कोविड केन्द्र संचालित नहीं है तथा छात्रों को इस संस्थान का लाभ मिल रहा है। वर्तमान में सत्र 2020 एवं 2021 में कुल 595 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रहित में खण्ड–01 में वर्णित संस्थान को चालू शैक्षणिक वर्ष में चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर– कंडिका–1 एवं 2 में उल्लेख है।

16/12/2021
(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–20/2021श्र0नि0–1509 राँची, दिनांक–16/12/2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2311, दिनांक–12.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/2021
सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Shiv Shakti\Vidhan Sabha\Shiv\05-20-2021 T..dOCX